न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

(धारा 6 ए ई0सी0 एक्ट)

वाद सं0: 107/2009

राज्य

बनाम

1 मोहन किस्कू उर्फ मनोज कुमार, जन वितरण प्रणाली दुकानदार, पं0: गौरीपुर परसा, थाना : बी0 कोठी, पूर्णियाँ

2 बबलु यादव, पिता : लक्ष्मी यादव

3 रमेश कु0 भगत, पिता : जयचन्द भगत, सा0: वासुदेवपुर, थाना : बी0 कोठी, पूर्णियाँ।

आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा के पत्रांक : 223/आ0, दिनांक : 21.10.2009 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ की गई है। इस वाद में ट्रेक्टर नं0: बी0आर0-11सी0 8850 एवं ट्रेक्टर नं0: बी0आर0-11सी0 5800 जिस पर 16 बोरा गेहूँ कुल वजन 8.00 (आठ) क्वींटल एवं 16 बोरा चावल कुल वजन 9.00 (नौ) क्वींटल लदा हुआ जन वितरण प्रणाली दुकानदार मोहन किस्कू उर्फ मनोज कुमार के घर से बड़हरा कोठी बाजार की ओर लेजाने के क्रम में रेलवे क्रॉसिंग (परसा) के नजदीक पुलिस द्वारा पकड़कर रघुवंशनगर ओ0 पी0 परिसर में लाया गया, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बी0 कोठी द्वारा विधिवत फर्द ब्यान तैयार किया गया। फर्द ब्यान से स्पष्ट होता है कि जब्त सामग्री सरकारी योजना का है जिसे कालाबाजारी में विपक्षी द्वारा मिलिभगत से बिक्री हेतु ले जाया जा रहा था, जो एक संज्ञेय अपराध है। इस संबंध में विपक्षी के विरूद्ध फर्द ब्यान बड़हरा थाना कांड सं0: 111/09 दर्ज किया गया। स्पष्ट है कि वाद अभी तक न्यायालय में लंबित है।

विपक्षी सं0: 02 एवं 03 की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया, विपक्षी सं0: 01 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। विपक्षी सं0: 02 एवं 03 द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा असंतोषजनक है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त तीनों विपक्षी के विरूद्ध न्यायालय में मामला लंबित है। जब्त सामग्री क्षयशील प्रकृति का है जो रघुवंशनगर ओ0 पी0 परिसर में रखा हुआ है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में जब्त सामग्री को अधिग्रहण किया जाता है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बी0 कोठी को आदेश दिया जाता है कि जब्त सामग्री को किसी जन वितरण प्रणाली दुकानदार के माध्यम से बिक्री करवाकर बिक्री राशि चालान से कोषागार में जमाकर चालान की एक प्रति न्यायालय में समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक : ...16.04.11..... को प्रस्तुत करें।

लेखापित एवं संशोधित

28/3/11

समाहर्त्ता
पूर्णियाँ

28/3/11

समाहर्त्ता
पूर्णियाँ